

बिहार सरकार,
कृषि विभाग।

पत्र संख्या- पी०पी०एम०- 49/2016- 1101 /कृ०, पटना, दिनांक 08-03-2017

प्रेषक,

सुधीर कुमार,
प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

(+) अनौपचारिक रूप से परामर्शित। द्वारा : वित्त विभाग, बिहार, पटना। (+)

विषय : नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलॉजी के अधीन सब-मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन योजना के कार्यान्वयन के लिये बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान (बामेती) तथा जिला स्तरीय कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण (आत्मा) को वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए केन्द्रांश मद में 3073.668 लाख रुपये (तीस करोड़ तिहत्तर लाख छियासठ हजार आठ सौ रुपये) एवं राज्यांश मद में 2406.11200 लाख रुपये (चौबीस करोड़ छः लाख ग्यारह हजार दो सौ रुपये) कुल 5479.78 लाख (चौवन करोड़ उनासी लाख अठहत्तर हजार) रुपये सहायक अनुदान की स्वीकृति के अन्तर्गत निकासी हेतु स्वीकृति के लिए अवशेष राशि में से केन्द्रांश-1387.07 लाख रुपये एवं राज्यांश-924.71 लाख रुपये कुल 2311.78 लाख (तेइस करोड़ ग्यारह लाख अठहत्तर हजार) रुपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।

आदेश : स्वीकृत।

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-331 दिनांक 27.01.2017 के प्रसंग में नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलॉजी के अधीन सब-मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन योजना के कार्यान्वयन के लिये बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान (बामेती) तथा जिला स्तरीय कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण (आत्मा) को वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए केन्द्रांश मद में 3073.668 लाख रुपये (तीस करोड़ तिहत्तर लाख छियासठ हजार आठ सौ रुपये) एवं राज्यांश मद में 2406.11200 लाख रुपये (चौबीस करोड़ छः लाख ग्यारह हजार दो सौ रुपये) कुल 5479.78 लाख (चौवन करोड़ उनासी लाख अठहत्तर हजार) रुपये सहायक अनुदान की स्वीकृति के अन्तर्गत निकासी हेतु स्वीकृति के लिए अवशेष राशि में से केन्द्रांश-1387.07 लाख रुपये एवं राज्यांश-924.71 लाख रुपये कुल 2311.78 लाख (तेइस करोड़ ग्यारह लाख अठहत्तर हजार) रुपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. भारत सरकार, कृषि एवं कल्याण मंत्रालय, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, नई दिल्ली का पत्र संख्या- 36-25/2012-ए.ई. एक्सटेंशन डेस्क दिनांक: 23.02.2017 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में सामान्य वर्ग के लिए 1169.30 लाख रुपये एवं अनुसूचित जाति के लिए 217.77 लाख रुपये विमुक्त की गयी है।

3. विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 331 दिनांक: 27.01.2017 की अन्य सभी शर्तें पूर्ववत् रहेंगी।

4. बजट शीर्ष एवं उपबंधित राशि से संबंधित विवरणी निम्न प्रकार है:- (राशि लाख ₹0 में)


बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	स्वीकृत राशि	पूर्व में निकासी हेतु स्वीकृत राशि	वर्तमान में निकासी एवं व्यय हेतु स्वीकृत राशि
केन्द्रांश				
मुख्य शीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म उपमुख्य शीर्ष-00 लघु शीर्ष-109-विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण उपशीर्ष-0217-राष्ट्रीय कृषि विस्तार तथा प्रौद्योगिकी मिशन, विपत्र कोड P2401001090217 पी0एफ0एम0एस0 कोड-9144 विषय शीर्ष 3106-सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा	4846.14	2551.14444	1281.72	1169.30
मुख्य शीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म उपमुख्य शीर्ष-00 लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना उपशीर्ष-0236-राष्ट्रीय कृषि विस्तार तथा प्रौद्योगिकी मिशन, विपत्र कोड P2401007890236 पी0एफ0एम0 एस0 कोड- 9144 विषय शीर्ष 3106-सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा	1242.60	491.78688	241.28	217.77
मुख्य शीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म उपमुख्य शीर्ष-00 लघु शीर्ष-796- जनजातीय क्षेत्र उप योजना उपशीर्ष-0260-राष्ट्रीय कृषि विस्तार तथा प्रौद्योगिकी मिशन, विपत्र कोड P2401007960260,पी0एफ0एम0एस0 कोड-9144 विषय शीर्ष 3106 -सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा	124.26	30.73668	13.83	0
कुल	6213.00	3073.66800	1536.83	1387.07
राज्यांश				
मुख्य शीर्ष-2401- फसल कृषि कर्म उपमुख्य शीर्ष-00 लघु शीर्ष-109- विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण उपशीर्ष-0317 राष्ट्रीय कृषि विस्तार तथा प्रौद्योगिकी मिशन विपत्र कोड P2401001090317 पी0एफ0एम0एस0 कोड-9144 के अंतर्गत विषय शीर्ष 3106 सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा।	3230.76	1997.07296	1150.79	779.53
मुख्य शीर्ष-2401- फसल कृषि कर्म उपमुख्य शीर्ष-00 लघु शीर्ष-789- अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना उपशीर्ष-0336- राष्ट्रीय कृषि विस्तार तथा प्रौद्योगिकी मिशन विपत्र कोड P2401007890336 पी0एफ0एम0एस0 कोड-9144 के अंतर्गत विषय शीर्ष 3106 सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा।	828.40	384.97792	217.97	145.18
मुख्य शीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म उपमुख्य शीर्ष-00 लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना उपशीर्ष 0360-राष्ट्रीय कृषि विस्तार तथा प्रौद्योगिकी मिशन, विपत्र कोड P2401007960360 पी0एफ0एम0एस0 कोड-9144 के अंतर्गत विषय शीर्ष 3106 सहायक अनुदान- वेतनादि के अलावा।	82.84	24.06112	12.79	0
कुल	4142.00	2406.11200	1381.55	924.71
सकल योग	10355.00	5479.78000	2918.38	2311.78

5. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना संख्या 602 दिनांक 20.3.2007 एवं वित्त विभाग के संकल्प संख्या-96 वि0 (2) दिनांक 03.01.08 में निहित प्रावधान के आलोक में उक्त योजना के कार्यान्वयन में मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति संचिका संख्या- पी0पी0एम0-49/2016 के पृ0सं0-44/टि. पर दिनांक .17.01.2017 को प्राप्त है।

6. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-7355 वि0 (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।


7. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या- पी0पी0एम0-49/2016 के पृ0सं0-56/टि. पर दिनांक- 06.03.2017 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


7-3-2017
(सुधीर कुमार)
प्रधान सचिव,


कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :- पी०पी०एम०- 49/2016- 1101 /क०, पटना, दिनांक 08-03-2017
प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, अकंक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०) कार्यालय, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


7-3-2017
प्रधान सचिव,


कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :- पी०पी०एम०- 49/2016- 1101 /क०, पटना, दिनांक 08-03-2017
प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग/मंत्रिनिर्देशक सचिवालय विभाग एवं वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


7-3-2017
प्रधान सचिव,


कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :- पी०पी०एम०- 49/2016- 1101 /क०, पटना, दिनांक 08-03-2017
प्रतिलिपि : सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



7-3-2017
प्रधान सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :- पी०पी०एम०- 49/2016- 1101 /क०, पटना, दिनांक 08-03-2017
प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, बामेति, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कृषि विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी संयुक्त कृषि निदेशक/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/बजट एवं योजना शाखा, सचिवालय एवं कृषि निदेशालय, कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु तथा उप कृषि निदेशक (सूचना) को विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



Pratap


7-3-2017
प्रधान सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।